न्यूज़ टुडे

कैबिनेट ने 22919 करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ "इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों का विनिर्माण योजना" को मंजूरी दी

इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं-

- इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण हेतु एक मजबूत परिवेश तैयार करना;
- घरेलू मूल्य संवर्धन विकसित करना और
- भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करना।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं

- यह अलग-अलग श्रेणी के पुर्जों के लिए विशिष्ट अक्षमताओं को दूर करने हेतु भारतीय विनिर्माताओं को **अलग-अलग प्रोत्साहन** प्रदान करेगी।
  - **लक्षित खंडों में सब-असेंबली** (डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल), **बेयर पुर्जे** (नॉन-सरफेस माउंट डिवाइस) आदि शामिल होंगे।
- **अवधि:** एक वर्ष की जेस्टेशन (योजना विकास) अवधि के साथ **6 वर्ष।**
- प्रोत्साहन के एक हिस्से का भुगतान **रोजगार लक्ष्य प्राप्ति** से जुड़ा हुआ है।

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रक का महत्त्व

- **रणनीतिक:**
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका** संयुक्त सहयोग के तहत **भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र** की स्थापना की जाएगी। यह **सैन्य हार्डवेयर में उपयोग के लिए चिप्स** का उत्पादन करेगा।
  - **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के 89.8 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात का आधे से अधिक हिस्सा **चीन और हांगकांग** से खरीदा गया है। ये आंकड़ें विविधीकरण और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के निर्माण की आवश्यकता को उजागर करते हैं।
- **आर्थिक**
  - **निर्यात वृद्धि:** इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात वित्त वर्ष 2014-15 के 0.38 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 20 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) पर 2.41 लाख करोड़ रुपये हो गया है।
  - **घरेलू उत्पादन में वृद्धि:** इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2014-15 में 1.90 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 17 प्रतिशत से अधिक के CAGR पर 9.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने लोक सभा में भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया

यह विधेयक औपनिवेशिक काल के **भारतीय पत्तन अधिनियम (IPA), 1908** का स्थान लेगा, जो काफी पुराना हो चुका है।

- **विधेयक के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - भारत में पत्तनों से संबंधित कानूनों को सरल बनाना;
  - एकीकृत पत्तन विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना; तथा
  - देश की विस्तृत तटरेखा का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना।

भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 के मुख्य प्रावधान और विशेषताएं

- **लागू होना:** यह मौजूदा एवं नए पत्तनों, नौगम्य नदियों, पत्तनों की सीमाओं के भीतर जहाजों तथा पत्तनों के जल का उपयोग करने वाले विमानों पर लागू होगा।
- **समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC):** केंद्र सरकार द्वारा **समुद्री राज्य विकास परिषद** (MSDC) की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री इसके **अध्यक्ष** होंगे।
- **राज्य समुद्री बोर्ड (SMBs) की स्थापना:** राज्य सरकारों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में महापत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए SMBs की स्थापना की जायेगी।
  - SMBs पत्तन संचालन से संबंधित राज्य के सभी ऋण, अनुबंध और दायित्वों को अपने पास रखेंगे।
- **विवाद समाधान समिति (DRC):** पत्तनों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा DRCs गठित की जाएंगी।
  - विधेयक के तहत जिन मामलों के निपटारे का अधिकार DRC को दिया गया है, **सिविल न्यायालयों** को उन विवादों के निपटारे से बाहर रखा गया है।
- **पत्तन अधिकारियों की नियुक्ति:** इसमें संरक्षक और स्वास्थ्य अधिकारी भी शामिल हैं, जो पत्तन परिचालनों की देखरेख करेंगे, कानूनों को लागू करेंगे, सुरक्षा का प्रबंधन करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संभालेंगे।

पत्तन गवर्नेंस संरचना

समुद्री राज्य विकास परिषद

कार्य:

- कानूनी और नीतिगत सुधारों की सिफारिश करना
- पत्तन प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना
- राष्ट्रीय पत्तन विकास पर सलाह देना
- डेटा प्रबंधन दिशा-निर्देश जारी करना

राज्य समुद्री बोर्ड

कार्य:

- पत्तन कार्यों का पर्यवेक्षण करना
- पत्तन अवसंरचना का विकास करना
- नौवहन और शुल्कों को विनियमित करना
- पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करना

- **सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण:** पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जैसे- MARPOL (1973), **बैलास्ट जल प्रबंधन कन्वेंशन (2004)** आदि के अनुसार पोत अपशिष्ट के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- **मेगा पोर्ट:** केंद्र सरकार विशिष्ट मानदंडों के आधार पर महापत्तनों और गैर-महापत्तनों को **मेगा पोर्ट** के रूप में वर्गीकृत कर सकती है।

म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने 'ऑपरेशन ब्रह्मा' के तहत मानवीय सहायता भेजी

यह भूकंप पिछले दो वर्षों में सबसे शक्तिशाली था। यह भूकंप धरातल पर **10 किलोमीटर की गहराई** पर उत्पन्न हुआ था। कम गहराई के कारण इसके तेज झटके महसूस किए गए, क्योंकि भूकंप के उद्गम केंद्र (भूकंप का उद्गम स्थल सतह के नीचे) से तरंगों के रूप में ऊर्जा धरातल पर जल्दी पहुंच जाती है।

- भूकंप का **अधिकेंद्र** (भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर की सतह) **मांडले (म्यांमार)** से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित था।

भूकंप आने का क्या कारण था?

- **स्ट्राइक-स्लिप फ़ॉल्ट (भ्रंश):** यह भूकंप **भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के बीच "स्ट्राइक-स्लिप फ़ॉल्टिंग" (सागैंग फ़ॉल्ट)** के कारण उत्पन्न हुआ था।
- **सागैंग फ़ॉल्ट के बारे में**
  - **अवस्थिति:** यह **उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर म्यांमार** से होकर गुजरता है तथा **भारतीय एवं यूरेशियन प्लेटों के बीच सीमा** बनाता है।
  - **विशेषता:** यह विश्व के सबसे लंबे और सक्रिय **स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट्स** में से एक है। इसकी लंबाई **1,500 किमी** है।
  - **विवर्तनिक गति:** भारतीय प्लेट लगातार उत्तर की ओर यानी **यूरेशियन प्लेट** की तरफ खिसक रही है। इस वजह से **सागैंग फ़ॉल्ट पर तनाव** उत्पन्न हो रहा है।

फॉल्ट के बारे में

- **परिभाषा:** भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश (फॉल्ट) होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं।
  - इन फॉल्ट प्लेन्स के साथ होने वाली हलचल से संचित तनाव निकलता है, जिससे भूकंप आते हैं।

फॉल्ट (भ्रंश) और उसके प्रकार:

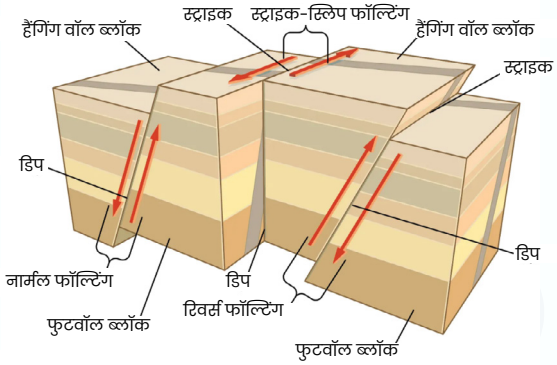

फॉल्ट (भ्रंश) और उसके प्रकार:

- **नॉर्मल फॉल्ट:** यह तब बनता है, जब फॉल्ट के ऊपर की चट्टान (हैंगिंग वॉल) नीचे की चट्टान (फुटवॉल) के सापेक्ष नीचे की ओर खिसकती है। **उदाहरण के लिए- पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट घाटी और बेसिन।**
- **रिवर्स फॉल्ट:** इसमें **फॉल्ट प्लेन के ऊपर स्थित चट्टान का ब्लॉक और ऊपर की ओर** हो जाता है। ऐसा संपीडन के कारण अभिसरण सीमाओं पर होता है। **उदाहरण के लिए- रॉकी पर्वत और हिमालय पर्वत।**
- **स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट:** यह तब बनता है, जब दो **प्लेट्स क्षैतिज रूप से (हॉरिजॉन्टली) एक-दूसरे से आगे** बढ़ती हैं। इसमें बहुत कम लंबवत विस्थापन होता है। **उदाहरण के लिए- अनातोलिया फॉल्ट, तुर्की।**
- **ट्रांसफॉर्म फॉल्ट:** यह एक प्रकार का **स्ट्राइक-स्लिप फॉल्ट है,** जो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच सीमा बनाता है। उदाहरण के लिए- सैन एंड्रियास फॉल्ट, कैलिफोर्निया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधीशों को नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए, भले ही की गई टिप्पणियां उन्हें पसंद न हों

- **इमरान प्रतापगढ़ी बनाम गुजरात राज्य** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने **'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा' के महत्त्व को रेखांकित** किया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को यह याद दिलाया कि अलोकप्रिय राय व्यक्त करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है।
  - सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय **राज्य सभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी (FIR)** के मामले में आया है। सांसद पर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी टिप्पणियों से समुदायों के बीच शत्रुता फैली है। यह **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A के तहत दंडनीय** अपराध है।
  - हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि **धारा 153A** के तहत किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध करने के लिए **समुदायों के बीच इरादतन घृणा फैलाने** का आरोप साबित करना आवश्यक है।
    - **भारतीय न्याय संहिता (2023) की धारा 196 उन कृत्यों या अभिव्यक्तियों को दंडित करती है, जो धर्म, नस्ल, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग समूहों के बीच घृणा या वैमनस्यता को भड़काते हैं।** इस धारा का उद्देश्य समाज में शांति बनाए रखना है।

संविधान में 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' से संबंधित प्रावधान

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19(1)(a)** के तहत सभी नागरिकों को **"वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** "का मूल अधिकार प्राप्त है। **इस मूल अधिकार में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - स्वतंत्र रूप से अपनी राय और विचारों को व्यक्त करने का अधिकार;
  - सूचना प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार;
  - प्रेस की स्वतंत्रता;
  - सरकार और लोक प्रसिद्ध व्यक्तियों की आलोचना करने का अधिकार आदि।
- हालांकि, **अनुच्छेद 19(2)** के तहत उपर्युक्त स्वतंत्रता पर **निम्नलिखित मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं:**
  - भारत की संप्रभुता और अखंडता;
  - देश की सुरक्षा;
  - अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध;
  - लोक व्यवस्था;
  - शिष्टाचार या सदाचार;
  - न्यायालय की अवमानना, मानहानि;
  - अपराध के लिए उकसाने से संबंधित मामले आदि।

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

- **के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ (1970):** किसी फिल्म के प्रभाव का मूल्यांकन सामान्य दर्शकों पर उसके समग्र प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।
- **श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015):** वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद है।
- **मंजर सईद खान एवं पैट्रीशिया मुखीम बनाम मेघालय राज्य (2021):** IPC की धारा 153A के तहत अपराध साबित करने के लिए "मेंस रिया" (Mens Rea) यानी अपराध की मंशा का होना आवश्यक है।

IUCN के अनुसार कवक की 1,000 से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं

IUCN द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि **कृषि और शहरी क्षेत्रों के तेजी से विकास ने कवक के पर्यावासों को नष्ट** कर दिया है। इसके कारण **279 कवक प्रजातियों के समक्ष विलुप्त** होने का जोखिम उत्पन्न हो गया है।

इस प्रेस विज्ञप्ति में बताए गए मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **जोखिम:** सूची में शामिल कवक प्रजातियों की संख्या **1,300 तक पहुंच** गई है। इनमें से कम-से-कम **411 विलुप्त** होने की कगार पर हैं।
- **जलवायु परिवर्तन: संयुक्त राज्य अमेरिका** में वनाग्नि संबंधी पैटर्न ने 50 से अधिक कवक प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है। उदाहरण के लिए- **संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएरा नेवादा के वनों में अब देवदार के वृक्षों** का प्रभुत्व है।
- **प्रदूषण:** खेती में उपयोग किये जाने वाले उर्वरकों में मौजूद **अमोनिया के कारण 91 कवक प्रजातियां खतरे** में हैं।
- **पर्यावास की क्षति:** पर्यावास की क्षति और शहरी विस्तार के कारण **279 कवक प्रजातियां खतरे** में हैं।

कवक (Fungi) के बारे में

- कवक एक प्रकार का **यूकेरियोटिक सजीव** है, अर्थात् इनकी **कोशिकाओं में झिल्ली से घिरे अंगक और नाभिक या केंद्रक** होते हैं।
- यद्यपि पहले इन्हें **वनस्पति जगत के अंतर्गत वर्गीकृत** किया गया था, फिर भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर है, इसका कारण यह है कि:
  - **क्लोरोफिल:** इनमें **क्लोरोफिल नहीं** होता है।
  - **कोशिका संरचना:** कवक कोशिका भित्ति में **काइटिन** होता है, जबकि पादप कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है।
  - **पोषक तत्वों का अवशोषण:** कवक **बाह्य रूप से कार्बनिक पदार्थ को पचाते हैं** और फिर उसे अवशोषित करते हैं, जबकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
- **लाइकेन सहजीविता (Lichen Mutualism):** लाइकेन **कवक और एक कोशिकीय शैवाल या सायनोबैक्टीरिया** से बने मिश्रित सजीव होते हैं।
- **पारिस्थितिकी-तंत्र में कवक की भूमिका:** कवक कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, तथा पादपों के साथ सहजीवी अस्तित्व बनाते हैं।
  - **जर्मनी** के वैज्ञानिकों ने ऐसे कवक की पहचान की है, जो **सिंथेटिक प्लास्टिक को नष्ट या अपघटित** कर सकता है।
- **कवक के अन्य लाभ:**
  - खाद्य उद्योग में **किण्वन, बेकिंग** आदि में उपयोग किया जाता है।
  - कुछ प्रजातियों में ऐसे रसायन होते हैं, जिन्हें निकालकर **स्टैटिन नामक दवा** बनाने में उपयोग किया जाता है। यह दवा **कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित** करती है।

अन्य सुर्ख़ियां

समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक (Carriage of Goods By Sea Bill) 2024

लोक सभा ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024 पारित किया।

- **विधेयक का उद्देश्य:** समझने में आसानी के लिए प्रावधानों की भाषा को सरल बनाना।

विधेयक के बारे में

- यह **भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 का स्थान** लेगा।
- यह भारत के एक पत्तन से भारत के किसी अन्य पत्तन या विश्व के किसी अन्य पत्तन तक माल के परिवहन से संबंधित उत्तरदायित्वों, दायित्वों, अधिकारों और उन्मुक्तियों को स्थापित करता है।
- यह **अगस्त 1924 के इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ लॉ रेलटिंग टू बिल्स ऑफ लैडिंग (हेग नियम) तथा उसके बाद के संशोधनों** के अनुरूप है।

FPV सशस्त्र ड्रोन

हाल ही में, **भारतीय थल सेना ने फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण** किया। इसे **चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी** के सहयोग से **मेजर सेफस चेतन** ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है।

फर्स्ट पर्सन व्यू (FPV) ड्रोन के बारे में

- **प्रमुख विशेषताएं**
  - **हमला करने की सटीक क्षमता:** यह दुश्मन के बंकरों, वाहनों और छोटी प्रणालियों को प्रभावी ढंग से निशाना बना सकता है।
  - **पायलट-नियंत्रित ट्रिगर:** इसमें **ट्रिगर को केवल रेडियो कंट्रोलर के माध्यम से एक्टिवेट** किया जाता है। इससे समयपूर्व विस्फोट का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।
  - **रियल टाइम में पेलोड की निगरानी:** बेहतर सटीकता के लिए ऑपरेटर FPV गॉगल्स के माध्यम से पेलोड की लाइव स्थिति जान सकते हैं।
- **सामरिक महत्त्व**
  - **स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी:** इससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम होगी।
  - **लागत प्रभावी हथियार:** यह कम लागत पर युद्धक्षेत्र में सटीक हमला करने का विकल्प प्रदान करता है।

बॉण्ड प्रतिफल (Bond Yield)

विदेशी निवेश और नीतिगत बदलावों के बीच वित्त वर्ष 2025 में **भारतीय बॉण्ड प्रतिफल में भारी गिरावट** आई है।

- **परिभाषा:** बॉण्ड, निवेशक द्वारा उधारकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए नियमित ब्याज भुगतान के बदले में दिया जाने वाला ऋण है।

बॉण्ड प्रतिफल के बारे में

- **परिभाषा:** यह उधारकर्ता (जारीकर्ता) और ऋणदाता (निवेशक) के बीच एक अनुबंध या ऋण सुरक्षा है। इसमें एक उधारकर्ता (जारीकर्ता) एक ऋणदाता (बॉण्ड-धारक या निवेशक) को भविष्य की तिथि (परिपक्वता तिथि) पर मूल राशि (अंकित मूल्य) चुकाने का वादा करता है। साथ ही आवधिक ब्याज भुगतान (कूपन) भी करता है।

बॉण्ड के मूल्य और बॉण्ड प्रतिफल के बीच संबंध

- जब **बॉण्ड की कीमतें बढ़ती हैं,** तो प्रतिफल **कम** हो जाता है, और जब बॉण्ड की **कीमतें गिरती हैं, तो प्रतिफल बढ़ता है।**
- यदि बाजार ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो **नये बॉण्ड्स पर अधिक प्रतिफल प्रदान किया जाता है, जिससे कम प्रतिफल** वाले मौजूदा बॉण्ड्स कम आकर्षक हो जाते हैं।
  - इससे **मौजूदा बॉण्ड्स की कीमतों में गिरावट** आती है, जिससे **उनका प्रतिफल बढ़** जाता है।

युद्ध अभ्यास इंद्र 2025

युद्ध अभ्यास इंद्र का **14वां संस्करण** 28 मार्च, 2025 से 02 अप्रैल, 2025 तक **चेन्नई** में आयोजित किया जा रहा है।

युद्ध अभ्यास इंद्र के बारे में

- यह **भारत और रूस की नौसेनाओं** के मध्य द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है, जो 2003 से शुरू हुआ था।
- यह युद्ध अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा- **पत्तन आधारित चरण (चेन्नई में) और बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण।**
- **भागीदारी:** रूसी संघ के नौसेना पोत **पेचंगा, रेज्की और अलदार त्सिडेंझापोव** तथा भारतीय नौसेना के पोत **राणा, कुथार व समुद्री गश्ती विमान P8L** शामिल हुए हैं।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के अंतर्गत **4-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर** को मंजूरी दी।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के बारे में

- यह एक **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** मॉडल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से **सड़क निर्माण जैसी अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं** में किया जाता है।
- **वित्त-पोषण:** निर्माण के दौरान **परियोजना लागत का 40% सरकार द्वारा वित्त-पोषित** किया जाता है तथा **शेष 60% निजी विकासकर्ता द्वारा वहन** किया जाता है ।
  - हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत निजी विकासकर्ता समय के साथ सरकार द्वारा निर्धारित **एन्युटी भुगतान के माध्यम से लागत को वसूल** करता है।
- **अन्य मॉडल्स की तुलना में इसके लाभ:** संतुलित जोखिम-साझाकरण, निजी विकासकर्ताओं के लिए सुनिश्चित रिटर्न आदि।

तीस्ता नदी

बांग्लादेश ने **तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन एवं पुनरुद्धार परियोजना में चीन की भागीदारी** का स्वागत किया।

तीस्ता नदी के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह **सिक्किम में छोम्बो छू के रूप में हिमनदीय झील खांगचुंग छू** से निकलती है।
  - यह झील **पौहुनरी चोटी** से उतरने वाले **तीस्ता खांगसे ग्लेशियर** के मुहाने पर स्थित है।
- यह **सिक्किम और पश्चिम बंगाल** से होकर बहती है और फिर **बांग्लादेश में प्रवेश कर जमुना नदी (ब्रह्मपुत्र)** में मिल जाती है।
- **सहायक नदियां:**
  - **बाएं किनारे की सहायक नदियां:** लाचुंग छू, रंगपो छू, चाकुंग छू आदि।
  - **दाएं तट की सहायक नदियां:** रंगीत नदी (सबसे बड़ी सहायक नदी) आदि।
- **तीस्ता संधि:** 2011 में एक मसौदा समझौते का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अनुसार **शुष्क मौसम के दौरान भारत को तीस्ता का 42.5% तथा बांग्लादेश को 37.5% जल आवंटित** करने की योजना बनाई गई थी।
  - हालांकि, **पश्चिम बंगाल की आपत्तियों** के कारण इस समझौते के **कार्यान्वयन पर रोक** लगा दी गई।

फोटोनिक चिप

भारत सरकार **अगली पीढ़ी की कंप्यूटिंग** के लिए फोटोनिक चिप अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है।

फोटोनिक चिप के बारे में

- **अवधारणा:** एक फोटोनिक चिप एक **इलेक्ट्रॉनिक चिप** की तरह होती है। हालांकि, यह **विद्युत (इलेक्ट्रॉन) की जगह प्रकाश (फोटॉन)** का उपयोग करती है।
- **घटक:** इसमें **रेज़िस्टर्स और ट्रांज़िस्टर्स** की बजाय **वेवगाइड्स, लेजर व पोलराइजर जैसे ऑप्टिकल घटक** होते हैं।
- **महत्त्व:**
  - **अल्ट्रा-हाई स्पीड, हाई बैंडविड्थ और बेहतर ऊर्जा दक्षता** के साथ डेटा संचारित कर सकती हैं।
  - ये **बहुत कम हीट** उत्पन्न करती हैं और विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं होती हैं।
  - ये चिप्स 6G, **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर** जैसे नए अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।

राष्ट्रीय जीन बैंक

केंद्र सरकार ने **दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक (NGB) की स्थापना की घोषणा** की। इसका उद्देश्य **भविष्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 लाख क्रॉप (फसल) जर्मप्लाज्म का संरक्षण** करना है।

- पहला NGB **1996 में नई दिल्ली स्थित ICAR-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR)** में स्थापित किया गया था।

जीन बैंक के बारे में

- जीन बैंक ऐसे **जैव-भंडार** होते हैं, जहां **पादपों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों की आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित** किया जाता है। इनका उद्देश्य जैव विविधता को बचाना और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
- **जीन बैंक के प्रकार**
  - **सीड बैंक (बीज बैंक)** – जैसे **स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे**।
  - **फील्ड जीन बैंक** – प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवित पादपों का संरक्षण।
  - **क्रायो-प्रिजर्वेशन बैंक** – ऊतक, भ्रूण और कोशिकाओं को संरक्षित करने के लिए।
  - **पोलन (पराग) और DNA बैंक**।

भारत में अन्य जीन बैंक

- **पशु जीन बैंक:** ICAR-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBAGR), हरियाणा।
- **माइक्रोबियल जीन बैंक:** ICAR-राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव ब्यूरो (NBAIM), उत्तर प्रदेश।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

दक्षिण कोरिया (राजधानी: सियोल)

वर्तमान में, दक्षिण कोरिया अपनी **अब तक के सबसे भीषण वनाग्नि** की घटना का सामना कर रहा है।

दक्षिण कोरिया के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - **अवस्थिति:** पूर्वी एशिया।
  - **सीमाएं:** उत्तर में **डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया)**, पूर्व में **पूर्वी सागर (जापान सागर)**, दक्षिण में **पूर्वी चीन सागर** और पश्चिम में **पीला सागर** से लगती है।
    - **38वीं समानांतर रेखा (विसैन्यीकृत क्षेत्र) उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित** करती है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **पर्वत:** पूर्वी तट पर **ताइबेक पर्वत श्रृंखला** का विस्तार है।
    - **सबसे ऊँची चोटी:** जेजू द्वीप पर विलुप्त ज्वालामुखी **माउंट हल्ला** (1,950 मीटर)।
  - **द्वीप:** जेजू द्वीप **यहां का सबसे बड़ा द्वीप** है। यह **कोरिया जलडमरूमध्य** में स्थित है।
  - **नदियां:** हान नदी, नाकडोंग नदी आदि।